

न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रमांक-72 ए/2014  
संस्थापन दिनांक-09.07.2014  
फाईलिंग क्र. 234503002932014

1-साधूसिंह पिता सिरदारसिंह, उम्र-48 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-अघनीबाई पिता सिरदारसिंह, पति मंगलू उम्र-65 वर्ष,  
निवासी-ग्राम डोंगरिया (मंडई) तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-सगनीबाई पिता सिरदारसिंह, उम्र-45 वर्ष,  
निवासी-ग्राम थुरेमेटा तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादीगण

### विरुद्ध

1-रूक्खनबाई पति सोनसिंह, उम्र-60 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-लामूसिंह पिता सोनसिंह, उम्र-34 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-रायसिंह पिता सोनसिंह, उम्र-34 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-श्यामबतीबाई पिता सोनसिंह, पति बलसिंह उम्र-34 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-पार्वतीबाई पिता सोनसिंह, उम्र-36 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-महेश पिता साधूसिंह, उम्र-24 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम चरचेण्डी, तहसील बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7-म.प्र राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — प्रतिवादीगण

-: // / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-09/03/2016 को घोषित)

1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा चरचेण्डी प.ह.नं. 92 स्थित खसरा नंबर-9/4, 9/7, 34/6, 12/15 रकबा क्रमशः 1.00, 2.82, 0.50, 0.50 एकड़ कुल 4.82 एकड़/1.949 हेक्टेअर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर प्रत्येक वादी का 1/5 अंश के स्वत्व की घोषणा एवं आधिपत्य दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि मूल पुरुष सिरदारसिंह के चार पुत्रगण क्रमशः अमरसिंह, सोनसिंह, भादूसिंह, साधूसिंह व दो पुत्रियां अघनीबाई व सगनीबाई हैं। मूल पुरुष सिरदारसिंह एवं उसके तीन पुत्रगण अमरसिंह, सोनसिंह व भादूसिंह फौत हो चुके हैं। अमरसिंह व भादूसिंह लाऔलाद फौत हुए हैं तथा सोनसिंह के वारसान प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 हैं। विवादित भूमि मूल पुरुष सिरदारसिंह के नाम दर्ज थी।

3- वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष सिरदारसिंह के बड़े पुत्र अमरसिंह ने अपने जीवनकाल में उसे कोई संतान न होने के कारण अपने छोटे भाई साधूसिंह के पुत्र महेश को गोद पुत्र रखा था, इसलिए अमरसिंह के हिस्से की भूमि का हकदार उसका गोदपुत्र महेश है। मूल पुरुष सिरदारसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से

5 के नाम से दर्ज है, जिस पर प्रत्येक वादीगण का 1/5 अंश प्राप्त है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 द्वारा तहसीलदार बिरसा के न्यायालय से विवादित भूमि का चोरी-छुपे अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 ने विवादित भूमि का 1/2 अंश एवं वादीगण को 1/2 अंश प्राप्त होने का दिनांक-30.05.2015 को बंटवारा आदेश कराया है, जो कि प्रभावशून्य है। विवादित भूमि पर अमरसिंह के गोदपुत्र महेश एवं प्रत्येक वादीगण का 1/5 अंश प्राप्त है। वादीगण ने तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि पर प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-6 का 1/5 अंश होने और उसका कब्जा दिलाए जाने का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 ने लिखित कथन में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि तहसीलदार बिरसा के द्वारा दिनांक-30.05.2013 को विवादित भूमि का विधिवत् बंटवारा किया गया है और उक्त बंटवारे की जानकारी वादीगण को पूर्व से ही रही है। वादीगण उक्त बंटवारे से सहमत रहें हैं और उनके द्वारा उक्त आदेश की कोई अपील नहीं की गई है। अमरसिंह ने कभी भी प्रतिवादी क्रमांक-6 को अपना गोदपुत्र नहीं रखा था। उभयपक्ष गोंड जाति के सदस्य होकर गोंडी प्रथा व रूढ़ियों से शासित होते हैं और उन पर हिन्दू प्रथा लागू नहीं होती। गोंडी प्रथा के अनुसार मूल पुरुष सिरदारसिंह के फौत उपरान्त उसके दो पुत्र अमरसिंह एवं भादूसिंह लाऔलाद फौत होने और पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होने से शेष पुत्र सोनसिंह एवं साधूसिंह का विवादित भूमि पर आधा-आधा हिस्सा बचता है। इस प्रकार विवादित भूमि पर सोनसिंह के वारसान प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 को 1/2 अंश एवं साधूसिंह को 1/2 अंश प्राप्त होता है। अतएव वादीगण का दावा सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-6 ने अपने लिखित कथन में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन स्वीकार कर यह अभिवचन किया है कि वह अमरसिंह का गोदपुत्र है, इस कारण अमरसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि में उसका 1/5 अंश प्राप्त करने का हकदार है।

6— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-7 की ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है तथा वह पूर्व से एकपक्षीय है।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा चरचेण्डी प.ह.नं. 92 स्थित खसरा नंबर 9/4, 9/7, 34/6, 12/15 रकबा क्रमशः 0.405, 1.140, 0.202, 0.202 हेक्टेअर कुल रकबा 1.949 हेक्टेअर भूमि वादीगण की खानदानी भूमि होने से उस पर वादीगण का 1/5 अंश का स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित, प्रत्येक वादीगण को विवादित भूमि में 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है।
2	क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि पर अपने 1/5 अंश का बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार हैं ?	प्रमाणित, प्रत्येक वादीगण अपने 1/4 अंश का बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं।
3	क्या उक्त विवादित भूमि का उभयपक्ष के मध्य पूर्व में विधिवत् बंटवारा हो चुका है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या स्व. अमरसिंह का प्रतिवादी क्रमांक-6 वैध गोदपुत्र होने से वह स्व. अमरसिंह को विवादित भूमि में प्राप्त अंश का हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
5	क्या पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित न होकर गोंडी प्रथा व रूढ़ियों से शासित होते हैं ?	प्रमाणित नहीं
6	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

8— यह साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-6 पर है कि स्व. अमरसिंह का प्रतिवादी क्रमांक-6 वैध गोदपुत्र होने से वह स्व. अमरसिंह को विवादित भूमि में प्राप्त अंश का हकदार है। वादीगण की ओर से मौखिक

साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी साधूसिंह (वा.सा.1), पंचमसिंह (वा.सा.2) एवं धूपचंद (वा.सा.3) के कथन कराए गये हैं। जबकि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 की ओर से लामूसिंह (प्र.सा.1), कोमलप्रसाद (प्र.सा.2) के कथन कराए गये हैं। प्रतिवादी क्रमांक-6 ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-6 का स्व. अमरसिंह के गोदपुत्र होने के संबंध में लिखित गोदनामा पेश नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-6 का स्व. अमरसिंह के कथित गोदपुत्र होने के संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से ही यह प्रकट होता है कि कथित गोदनामा के संबंध में काल्पनिक एवं असत्य कथन किये गए हैं। इसके अलावा प्रतिवादी क्रमांक-6 का उक्त के संबंध में सक्षम एवं सर्वोत्तम साक्षी होते हुए भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होने से भी यह उपधारणा की जा सकती है कि कथित गोदनामा के संबंध में वादीगण ने काल्पनिक एवं असत्य आधार पर दावा पेश किया है। साक्ष्य के अभाव में स्व. अमरसिंह का प्रतिवादी क्रमांक-6 गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं है। इस कारण स्व. अमरसिंह का प्रतिवादी क्रमांक-6 वैध गोदपुत्र प्रमाणित न होने से प्रतिवादी क्रमांक-6 विवादित भूमि में से स्व. अमरसिंह का अंश प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-4 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण**

9— यह साबित करने का भार प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 पर है कि पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित न होकर गोंडी प्रथा व रूढ़ियों से शासित होते हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कथित रूप से गोंडी प्रथा के अनुसार मूल पुरुष सिरदारसिंह के फौत उपरान्त उसके दो पुत्र अमरसिंह एवं भादूसिंह लाऔलाद फौत होने और पुत्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होने से शेष पुत्र सोनसिंह एवं साधूसिंह का विवादित भूमि पर आधा-आधा हिस्सा होने का अभिवचन किया गया है, किन्तु इस संबंध में स्वयं प्रतिवादी लामूसिंह (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मूल पुरुष सिरदारसिंह की पुत्रीगण सगनीबाई और अघनीबाई का विवादित भूमि में 1/5 अंश बनता है। कोमलप्रसाद



(प्र.सा.2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आदिवासी समाज में मूल पुरुष के फौत होने के बाद उसके पुत्र पुत्रियों के नाम भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाते हैं।

10— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि उनके आदिवासी समाज में प्रचलित रूढ़ि या प्रथा के अनुसार केवल पुत्रगण को ही उत्तराधिकार में संपत्ति में हक प्राप्त होता है और पुत्रियों को उत्तराधिकार में पिता की संपत्ति में हक प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तथ्य भी साबित नहीं किया गया है कि संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में उन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजस्व न्यायालय का बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त बंटवारा प्रकरण में भी मूल पुरुष सिरदारसिंह की पुत्रियां अघनीबाई व सगनीबाई पक्षकार रहीं हैं और उन्हें विवादित भूमि का बंटवारा प्राप्त हुआ है, जिसे स्वयं प्रतिवादी पक्ष ने मान्य किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 अपने कार्य एवं आचरण से विबंधित होकर अब पुत्रियों अर्थात् वादी क्रमांक-2 व 3 को उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होने के संबंध में चुनौती नहीं दे सकते। स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा की जा सकती है कि पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित होते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष ने तथाकथित रूप से पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित न होकर गोंडी प्रथा व रूढ़ियों से शासित होने के तथ्य को विधिवत् प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-5 "प्रमाणित नहीं" के निराकृत किया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण**

11— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 पेश की है, जिसमें उक्त संपत्ति बायकली को भूमि स्वामी के रूप में प्राप्त होना प्रकट होती है। उक्त बायकली का उभयपक्ष से नातेदारी होने के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर

से अभिवचन नहीं किया गया है। यद्यपि वादी की ओर से विवादित भूमि की ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी-2 में मूल पुरुष सिरदारसिंह वल्द बायझली उल्लेखित है। विवादित भूमि के वर्तमान खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 व किश्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी-5 में भूमि स्वामी के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना प्रकट होता है। इस प्रकार विवादित भूमि कथित बंटवारा होने के पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 की संयुक्त हक की भूमि होना प्रकट होती है।

12— राजस्व न्यायालय द्वारा पारित विवादित भूमि के बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 एवं प्रकरण की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 में विवादित भूमि का कुल रकबा 4.32 एकड़ का ही बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। वादीगण ने विवादित भूमि में खसरा नंबर 12/15 रकबा 0.50 एकड़ का उल्लेख किया है, किन्तु बंटवारा आदेश में उक्त भूमि को बंटवारे में शामिल किया जाना प्रकट नहीं होता है। यद्यपि प्रतिवादी पक्ष की ओर से विवादित भूमि में सभी खसरा नंबर की कुल रकबा 4.82 एकड़ भूमि होना स्वीकार किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रकरण की आदेश पत्रिका प्रदर्श पी-7 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त बंटवारा को प्रतिवादी पक्ष की ओर से चुनौती दी गई थी, जिसे राजस्व न्यायालय ने अमान्य कर दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 की आदेश पत्रिका में वादीगण की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर होने का उल्लेख नहीं है, जिससे वादीगण का बंटवारा प्रकरण में उपस्थित होना संदेहास्पद प्रकट होता है।

13— राजस्व न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 को वादी पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। उक्त प्रकरण में वादीगण की उपस्थिति होना संदेहास्पद प्रकट होती है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम दिनांक-22.04.2013 को आवेदन प्रस्तुत होने पर यथाशीघ्र इशतेहार जारी करने और दिनांक-15.05.2013 को ही इशतेहार प्राप्त होकर कोई आपत्ति प्राप्त न

होने का लेख किये जाने से ही यह परिलक्षित होता है कि राजस्व न्यायालय द्वारा एक माह से भी कम समय अवधि में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये एवं अनावेदक अर्थात् वादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बगैर 15 दिवस के भीतर ही कथित फर्द बंटवारा के आधार पर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार बिरसा के द्वारा राजस्व प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही कर विधि के अनुरूप बंटवारा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 की ओर से विवादित भूमि का उभयपक्ष के मध्य पूर्व में विधिवत् बंटवारा होने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

### वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण

14— उक्त वादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि मूल पुरुष सिरदारसिंह के नाम से दर्ज थी। इस प्रकार उभयपक्ष के अभिवचन व प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि मूल पुरुष सिरदारसिंह के स्वत्व की होने की उपधारणा की जा सकती है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि मूल पुरुष सिरदारसिंह के फौत उपरान्त उसके दो पुत्र अमरसिंह एवं भादूसिंह लाओलाद फौत हुए थे। ऐसी दशा में मूल पुरुष सिरदारसिंह के शेष वारसानगण अर्थात् वादी क्रमांक-1 से 3 एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के पति व प्रतिवादी क्रमांक-2 से 5 के पिता सोनसिंह को मूल पुरुष सिरदारसिंह की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मूल पुरुष सिरदारसिंह की विवादित संपत्ति को उसकी मृत्यु उपरान्त चार वारसान अर्थात् पुत्र क्रमशः साधूसिंह, सोनसिंह, पुत्रियां क्रमशः अघनीबाई व सगनीबाई को समान रूप से प्राप्त हुई हैं। वादीगण की ओर से प्रत्येक का विवादित भूमि पर 1/5 अंश का स्वत्व प्राप्त होने का दावा इस आधार पर किया गया है कि एक अंश तथाकथित रूप से अमरसिंह के गोदपुत्र प्रतिवादी क्रमांक-6 को प्राप्त होता है। यद्यपि उक्त गोदनामा प्रमाणित न होने से विवादित भूमि में



वादीगण प्रत्येक का 1/4 अंश एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 का 1/4 अंश प्राप्त होना प्रकट होता है।

15— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने से उस पर वादीगण प्रत्येक को 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है। विवादित भूमि में प्रत्येक वादी अपने 1/4 अंश का बंटवारा कराकर पृथक् आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण कर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि प्रत्येक वादीगण को विवादित भूमि में 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है एवं वह अपने अंश का पृथक् आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं।

### सहायता एवं व्यय

16— वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित किया है कि प्रत्येक वादीगण को विवादित भूमि में 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है एवं वह अपने अंश का पृथक् आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं। विवादित भूमि पर सरकार को संदेय राजस्व निर्धारित होने से आदेश 20 नियम 18 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत ऐसी संपदा के विभाजन के संबंध में धारा-54 व्य.प्र.सं. के उपबंधों के अनुसार राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किये जाने हेतु वादीगण स्वतंत्र हैं।

17— अतएव वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

(1) मौजा चरचेण्डी प.ह.नं. 92 स्थित खसरा नंबर 9/4, 9/7, 34/6, 12/15 रकबा क्रमशः 0.405, 1.140, 0.202, 0.202 हेक्टेअर कुल रकबा 1.949 हेक्टेअर भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने से उस पर प्रत्येक वादी का 1/4 अंश का स्वत्व प्राप्त है।

(2) तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक-30.05.2013 को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है।

(3) उक्त विवादित भूमि में प्रत्येक वादी अपने 1/4 अंश का राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार है।

(4) प्रतिवादीगण स्वयं के साथ वादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)